

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 145]

नवा रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 20 मार्च 2026 — फाल्गुन 29, शक 1947

परिवहन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 19 मार्च 2026

अधिसूचना

क्रमांक एफ RULE-5/18/2026-TRANSPORT.— केन्द्रीय मोटरयान कराधान नियम, 1989 के नियम 115 के उप नियम (7) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद् द्वारा, अधिसूचना क्रमांक 526/परिवहन विभाग/2001 दिनांक 10 सितंबर 2001 द्वारा जारी तथा अधिसूचना क्रमांक एफ 5-3/आठ-परि/2016, दिनांक 20 जुलाई 2016 तथा अधिसूचना क्रमांक एफ 5-3/आठ-परि/2016, दिनांक 20 जनवरी 2025 द्वारा संशोधित छत्तीसगढ़ मोटरयान प्रदूषण जांच केन्द्र योजना, 2001 की निम्नांकित सूची के सरल क्रमांक (7) की उप कंडिकाओं-2 में संशोधन करते हुए सरल क्रमांक (2) के उप क्रमांक 1,2,3 में निम्नानुसार संशोधन करती है, अर्थात्:-

संशोधन

उक्त योजना के —

छत्तीसगढ़ मोटरयान प्रदूषण जांच केन्द्र योजना, 2001 के प्रावधान (1)				संशोधन प्रस्ताव 2026 (2)			
7 नियंत्रित प्रदूषण प्रमाण-पत्र — की उप कंडिका “2”				7 नियंत्रित प्रदूषण प्रमाण-पत्र — की उप कंडिका “2”			
(2) ऐसा प्रमाण पत्र जारी करने के लिए प्राधिकृत प्रदूषण जांच केन्द्र का स्वामी, यान के स्वामी से निम्नलिखित दरों पर फीस प्रभारित करेगा:-				(2) ऐसा प्रमाण पत्र जारी करने के लिए प्राधिकृत प्रदूषण जांच केन्द्र का स्वामी, यान के स्वामी से निम्नलिखित दरों पर फीस प्रभारित करेगा:-			
स. क्र.	मोटरयान का प्रकार	फीस रुपये में	अवधारित फीस में से सरकार को दी जाने वाली राशि	स. क्र.	मोटरयान का प्रकार	फीस रुपये में	अवधारित फीस में से सरकार को दी जाने वाली राशि
(1)	(2)	(3)	(4)	(1)	(2)	(3)	(4)
1	दो पहिया यान	60.00	20.00 रु.	1	दो पहिया यान	90.00	30.00 रु.
				2	तीन पहिया यान	120.00	50.00 रु.

2	तीन पहिया यान	90.00	30.00 रु.	3	चार पहिया हल्के मोटरयान	150.00	50.00 रु.
3	चार पहिया हल्के मोटरयान	120.00	40.00 रु.	4	मध्यम मोटरयान	150.00	80.00 रु.
4	मध्यम मोटरयान	150.00	80.00 रु.	5	भारी मोटरयान	300.00	100.00 रु.
5	भारी मोटरयान	300.00	100.00 रु.	टीप:- जीएसटी की राशि पृथक से ली जाएगी।			

यह अधिसूचना राजपत्र प्रकाशन तिथि से प्रभावशील होगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशिका ऋषि पाण्डेय, उप-सचिव.

Nava Raipur Atal Nagar, the 19th March 2026

NOTIFICATION

No. F RULE-5/18/2026-TRANSPORT. — In exercise of the powers conferred by sub-rule (7) of Rule 115 of the Central Motor Vehicles Rules, 1989, the State Government hereby makes the following amendment to the Chhattisgarh Motor Vehicle Pollution Testing Centre Scheme, 2001, issued by Notification No. 526/Transport Department/2001 dated 10 September 2001 and subsequently amended by Notification No. F 5-3/VIII-Trans./2016 dated 20 July 2016 and Notification No. F 5-3/VIII-Trans./2016 dated 20 January 2025, Accordingly, the State Government hereby makes the following amendments in sub-items 1, 2 and 3 of sub-clause (2) under Serial No. (7), namely:—

AMENDMENT

Of the said scheme: —

Provisions of Chhattisgarh Motor Vehicle Pollution Checking Centre Scheme, 2001 (1)				Amendment Proposal 2026 (2)			
Serial No. 7 – Sub-clause (2) of “Pollution Under Control Certificate”.				Sub-clause (2) under Serial No. 7 – “Pollution Under Control Certificate (PUC)”.			
(2) For issuing such certificate, the owner of the authorized pollution testing centre shall charge fee from the owner of the vehicle at the following rates-				“(2) For issuing such a certificate, the owner of the authorized Pollution Testing Centre shall charge the following fees from the vehicle owner at the prescribed rates:”			
S. No.	Type of motor vehicle	Fee in rupees	Amount payable to the Government out of the fee	S. No.	Type of motor vehicle	Fee in rupees	Amount payable to the Government out of the fee
(1)	(2)	(3)	(4)	(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Two wheeler vehicle	60.00	Rs. 20.00	1.	Two wheeler vehicle	90.00	Rs. 30.00
2.	Three wheeler vehicle	90.00	Rs. 30.00	2.	Three wheeler vehicle	120.00	Rs. 50.00
3.	Four wheeler light motor	120.00	Rs. 40.00	3.	Four wheeler light motor	150.00	Rs. 50.00

	vehicle				vehicle		
4.	Medium motor vehicle	150.00	Rs. 80.00	4.	Medium motor vehicle	150.00	Rs. 80.00
5.	Heavy motor vehicle	300.00	Rs. 100.00	5.	Heavy motor vehicle	300.00	Rs. 100.00
Note- GST amount will be charged separately.				"Note: GST amount will be charged separately."			

This notification shall come into force from the date of publication in the Gazette.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
ANSHIKA RISHI PANDAY, Deputy Secretary.